न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी— श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 46 / 2023

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

वादीगण	प्रतिवादीगण
1. उदाराम पुत्र भानाराम उम्र 58 वर्ष 2. वेहनाराम पुत्र भानाराम उम्र 45 वर्ष जातियान जाट निवासी टाकूबेरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर	1. भानाराम पुत्र लिछमणाराम (फौत के कायम मुकाम वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1/1) 1/1— हिमताराम पुत्र भानाराम उम्र 50 वर्ष 2. देवाराम पुत्र लछमणाराम उम्र 70 वर्ष 3. पूनमाराम पुत्र लछमाराम उम्र 75 वर्ष 4. भूराराम पुत्र मलाराम उम्र 60 वर्ष 5. मोतीराम पुत्र मलाराम उम्र 65 वर्ष जातियान जाट निवासी टाकूबेरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति—

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के वकील उपस्थित।
3. प्रतिवादी सं. 6 के पैरोकार उप.।

निर्णय

दिनांक— 06.11.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विपक्षीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता पाने हेतु श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है, कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 158 रकबा 21.3010 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम मौजा टाकूबेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी में अवस्थित है। कि उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीगण संख्या 1 से 2 प्रत्येक का 262/2633, 262/2633 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 135/2633 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 से 3 प्रत्येक का 658/2633. 668/2633 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 से 5 प्रत्येक का 329/2833. 329/2633 हिस्सा दर्ज है। एवं इसी हिस्सों में माफिक प्रार्थी विवादित भूमि पर काबिज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

बटवाड़ा किया हुआ है परन्तु प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेदो को लेकर झगड़ा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दंखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रखोबदल करने पर प्रयासरत है तथा प्रार्थी को सडक मार्ग तक नहीं जाने देते है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थी अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू–भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है तथा उक्त खसरा में प्रार्थी के कब्जा काश्त से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु नहीं है तथा सड़क मार्ग पर विप्रार्थीगण स्वयं काबिज होने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बटवाडा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलागी भूमि में विप्रार्थीगण विशिष्ट भूमि–भाग निर्माण आदि करवाने के अधिकारी नही है. क्योंकि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है प्रार्थी को सड़क मार्ग तक आने जाने नहीं दे रहे है तथा जगह जगह निर्माण कर बाधा पैदा कर रहे है। यदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है,कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में रेकर्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 158 रकबा 21.3010 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम मौजा टाकूबेरी पटवार क्षेत्र कमठाई तहसील सिणधरी में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थी के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें तथा प्रार्थी को सड़क मार्ग या कटाण मार्ग तक आने जाने में किसी प्रकार की दुविधा पैदा नहीं करें, इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जायें।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। मूल वाद में उभयपक्ष की इस्तदुआ के अनुसार प्रार्थीगण ने मात्र ग्राम टाकू बेरी के खसरा संख्या 158 रकबा 21.3010 हैक्टेयर के सम्बन्ध वाद पेश किया है, जबकि पक्षकारान् के संयुक्त खातेदारी के ग्राम टाकूबेरी में एक अन्य खसरा संख्या 157 रकबा 0. 2832 हैक्टेयर अवस्थित है. इसके अलावा ग्राम बिलासर में खसरा संख्या 17. 64, 87 रकबा क्रमशः 13.3000 हैक्टेयर, 20.9288 हैक्टेयर, 0. 2184 हैक्टेयर के आये हुऐ है। कि वादग्रस्त आ[illegible] नाम संयुक्त रूप से दर्ज है तथा मौके पर भूमि पर मौखिक बंटवा[illegible]हीं हुआ है, प्रतिवादीगण ने वादी के हिस्से की भूमि के सम्बन्ध में [illegible] है, न ही वादी के हिस्से की भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया है [illegible] प्रतिवादीगण के द्वारा किसी विशिष्ट भू–भाग को हड़पने का प्रयास [illegible] की किसी प्रकार से तनाव की स्थिति है. वादीगण अपने हिस्से के अनुसार ऋण वगैरा [illegible] के लिये कानूनी रूप से सक्षम व स्वतंत्र है।पक्षकारान् शांतिपूर्ण अपने–अपने हिस्से में काश्त करते आ रहे है और वादीगण अगर कानूनी बंटवाड़ा करवाना चाहते है तो उसमें प्रतिवादी को ऐतराज नहीं है, प्रतिवादीगण भी अपना काउन्टर क्लेम कर अपने हिस्सा वादी के वाद पत्र में वर्णित भूमि के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

बिनाय पक्षकारान की अन्य संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम टाकूकी के खसरा संख्या [illegible] रकबा 0.2832 हैक्टेयर तथा ग्राम बिनासर में खसरा संख्या 17, 64, 81 रकबा क्रमश 13.3056 हैक्टेयर, 20.9288 हैक्टेयर, 0.2184 हैक्टेयर भूमि का कानूनन अपना हिस्सा प्राप्त करना चाहते है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के द्वारा किसी प्रकार की वादी के हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी किये जाने अथवा किसी अनजान व्यक्ति को बेचान करने की धमकी दिये जाने के सन्दर्भ में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे प्रथम दृष्टया यह साबित होता हो कि विप्रार्थीगण द्वारा ऐसा को कृत्य कारित किया जा रहा है अथवा किया गया है। प्रार्थी स्वयं द्वारा भी अपने आवेदन के तथ्यों में स्वीकार किया कि सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक इन पर समान हक व हिस्सा होता है, ऐसी स्थिति में यह कथन प्रतिपादित नहीं होता है कि किसी सहखातेदार को उसके हिस्से में कब्जे काश्त का [illegible] पाबन्द किया जावे। जहां तक पक्षकार के कब्जे काश्त के अनुरूप विधिवत बटवारे का प्रश्न है, ऐसी स्थिति में उभयपक्ष की स्वीकारोक्ति के मूल वाद में पक्षकारान के कब्जे काश्त के अनुरूप बाइ मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तलब किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रथम द्रष्टया प्रकरण में बिनाय हेतुक स्थगन आदेश जारी रखा जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

लिहाजा प्रकरण में दिनांक 27.03.2023 के जरिये खसरा नम्बर 158 रकबा 21.3010 हैक्टयर भूमि के संबंध में जारी अंतरिम अस्थाई स्थगन आदेश निरस्त किया जाकर प्रार्थी का आवेदन सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर एवं नम्बर से कम हो।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:32:24 IST
Reason: SelfAttested